संख्या-26/2016/648/35-3-2016-1(41)/2015

प्रेषक,

नवीन चन्द्र त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेंवा में

जिलाधिकारी,
खीरी ।

नियोजन अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक: 14 मार्च, 2016**

विषय: शासनादेश संख्या-22/2016/626/35-3-2016-1(41)/ 2015 दिनांक: 10 मार्च, 2016 मे संशोधन ।

महोदय

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-22/2016/626/35-3-2016-1(41)/2015 दिनांक:10 मार्च, 2016 मे आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह की कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भित शासनादेश के प्रस्तर- 5 को निम्नवत पढ़ा जायेगा।

उपर्युक्त मद मे होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या - 40 आयोजनागत - 4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूजीगत परिव्यय-06-बार्डर एरिया डेबलपमेंट कार्यक्रम- 800-अन्य व्यय-14-हैरिटेज वर्क शेड,थारू शिल्प प्रशिक्षण केन्द्र/विक्रय एवं प्रदर्शन केन्द्र/ नृत्य संगीत केन्द्र/हट आदि के लिये एक मुश्त व्यवस्था-24- वृहद निर्माण के नामें डाला जायेगा।

सन्दर्भित शासनादेश संख्या-22/2016/626/35-3-2016-1(41)/2015 दिनांक:10 मार्च, 2016 को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा ।

भवदीय,

(**नवीन चन्द्र त्रिपाठी**)
विशेष सचिव।

संख्या-26/2016/648(1)/35-3-2016-1(41)/2015 तद दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन ।
2- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन ।
3- मण्डलायुक्त, लखनऊ मण्डल।
4- महालेखाकार, प्रथम(लेखा एवं हकदारी) इलाहाबाद, उ0प्र0 महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय) इलाहाबाद।
5- निदेशक, सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन , लखनऊ ।

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://nde.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://s asanadesh.up.nic.in

7- अपर निदेशक, भूमि उपयोग परिषद को इस आशय से कि शासनादेश को विभागीय बेव साइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

8- कोषाधिकारी, खीरी ।

9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5 /लोक निमार्ण अनुभाग-9 ।

10- उप निदेशक, (अर्थ एवं संख्या) लखनऊ मण्डल।

11- अर्थ एवं संख्याधिकारी, खीरी ।

12- राज्य योजना आयोग-।

13- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(**नवीन चन्द्र त्रिपाठी**)
विशेष सचिव।

http://shas nadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shas nadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।